कार्यक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्यक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितंबर, 2008

सां.का.नि. 692(अ) — केंद्र सरकार, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951
(1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए
सम्बन्धित राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् भारतीय पुलिस सेवा (वेतन)
नियमावली, 2007 में संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित आगे और नियम
बदलती हैं, अर्थातः

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियमावली,
2008 है।
(2) अन्यथा उपबंधित किसी बात को छोड़कर, ये 1 जनवरी, 2006 को लागू
हुए समझे जाएंगे सिवाय अनुसूची 11-ग और घ-ज में विहित केंद्रीय
(कार्यवाहिक पर प्रतिनियुक्ति) अधीन के प्रावधानों को छोड़कर जो कि 1
सितंबर, 2008 से लागू होंगे।

2. भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम-2 में
(जिसे यहां उपयुक्त नियमावली के रूप में संदर्भित किया गया है) —
(i) खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा,
अर्थातः
‘(क क) संशोधित वेतन ढंगे में “मूल वेतन” से अंतर्गत है निर्धारित पेंश
बैंड में आहिरित वेतन और लागू एंड-ए लेकिन इसमें विशेष वेतन इत्यादि
जैसा कोई और वेतन शामिल नहीं है।
(एच.ए.जी.+ और शीर्षस्थ वेतनमान के वेतनमान में सेवा के सदस्य के मामलों में मूल वेतन से अभिव्यक्त है, निर्धारित वेतनमान का वेतन;

(ii) खण्ड (ड.) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः
‘(ड.) “बेड-पे” पूर्व-संशोधित वेतनमान अथवा पदों के तदनुसार नियत राशि है;

(iii) खण्ड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः
‘(ज क) “पे-बैंड में वेतन” से अभिव्यक्त है नियम 3 के उप-नियम-1 में विनिर्दिष्ट रूपसे पे-बैंडों में आहरित वेतन;

(iv) खण्ड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किए जाएगे, अर्थातः
‘(ड क) “संशोधित परिलक्षियों” से अभिव्यक्त है पे-बैंड में वेतन और संशोधित वेतन ढाँचे में सेवा के सदस्य की ग्रेड-पे अथवा शीर्षस्थ वेतनमान और मंडिरमण्डल सचिव के वेतनमान में मूल वेतन;

‘(ड ख) अनुसूची-III में विनिर्दिष्ट किसी पद के सम्बन्ध में “संशोधित वेतन ढाँचे” से अभिव्यक्त कॉलम-5 और 6 में विनिर्दिष्ट उस पद अथवा वेतनमान पर विनिर्दिष्ट पे-बैंड अथवा ग्रेड-पे से है जब तक कि उस पद के लिए एक अलग संशोधित पे-बैंड और ग्रेड-पे अथवा वेतनमान अलग से अभिसूचित नहीं कर दिया जाता;

3. उपर्युक्त नियमावली के नियम-3 में उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः

“(1) पे-बैंड और ग्रेड-पे — सेवा के सदस्य को अनुज्ञात रूपसे पे-बैंड और ग्रेड-पे और वे तारीख जिनसे इसके पे-बैंड और ग्रेड-पे लागू हुए समझे जाएंगे, निम्नानुसार होगे:-

(क) कमिश्च वेतनमान —
 पे-बैंड — 3: 15600-39100 रुपये और ग्रेड-पे 5400 रुपये।
(ख) वरिष्ठ वेतनमाण -
(i) वरिष्ठ समय वेतनमाण - पे-बॅंड - 3: 15600-39100 रुपये और ग्रेड-पे 6600 रुपये
(ii) कलन्दर प्रशासनिक ग्रेड - पे-बॅंड - 3: 15600-39100 रुपये और 7600 रुपये ग्रेड-पे।
(iii) चयन ब्रेड:- पे-बॅंड - 4: 37400-67000 रुपये और ग्रेड-पे 8700 रुपये ग्रेड-पे।

(ग) अधिसमय वेतनमाण :-
(i) पुलिस उप-महानिरीक्षक
 पे-बॅंड - 4: 37400-67000 रुपये और ग्रेड-पे 8900 रुपये।
(ii) पुलिस महानिरीक्षक
 पे-बॅंड 4: 37400-67000 रुपये और ग्रेड-पे 10000 रुपये।

(घ) अधिसमय वेतनमाण से ऊपर के वेतनमाण :-
(i) पुलिस अपर महानिदेशक -
 पे-बॅंड - 4: 37400-67000 रुपये और ग्रेड-पे 12000 रुपये।
(ii) एच.ए.जी.+: 75500 रुपये (वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से) - 80000 रुपये; ग्रेड-पे: शून्य
(iii) शीर्षस्थ वेतनमाण: 80000 रुपये (नियम) और ग्रेड-पे: शून्य
 पुलिस महानिदेशक के मौजूदा एक पद का प्रत्येक राज्य संघ में पुलिस बल के प्रमुख के रूप में उन्नयन।
(भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियमावली, 2008 की अधिसूचना के जारी होने की लिथिय से लागू)

टिप्पणी 1. - समय वेतनमाण और इससे ऊपर के पदों पर सेवा के सदस्य की नियुक्ति, भारतीय पुलिस सेवा में विभिन्न ग्रेडों में पदोन्नति के बारे में मार्गदर्श सिद्धांतों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार विनियमित की जाएगी:

बशार्त कि सेवा का कोई सदस्य भारतीय पुलिस सेवा(भारी) नियमावली, 1954 के नियम-6क के उप-नियम (2) के प्रावधानों के अध्यधीन अपनी सेवा के 4 वर्ष पूरी करने के पश्चात् वरिष्ठ समय वेतनमाण में, 9 वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात् कलन्दर प्रशासनिक ग्रेड में, 13 वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात् चयन ब्रेड में, 14 वर्ष की सेवा पूरी
करने के पश्चात् पुलिस उप महानिरीक्षक अधिसम्म वेतनमान में तथा 18 वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात् महानिरीक्षक अधिसम्म वेतनमान में नियुक्त किए जाने का पात्र हो जाएगा।

बशर्ते आगे यह भी कि सेवा का कोई सदस्य जिनसे अनिवार्य मध्य करियर विशेषित नियुक्ति घराने पर पूरा करने के पश्चात् ही किन्तु प्रशासनिक बैठक में नियुक्त किया जाएगा।

टिप्पणी 2. शीर्षस्त्र वेतनमान में पुलिस महानिरीक्षक का पद 75500 (वार्षिक वेतनंद्रि 3 प्रतिशत की दर से) - 80000 रुपये के एच.ए.जी. -वेतनमान - राज्य संवर्ग के पुलिस महानिरीक्षक के पद पर कार्यरत अधिकारियों द्वारा भरा जाएगा।

टिप्पणी 3. जब कभी राज्य अथवा संयुक्त संवर्ग का भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई अधिकारी पे-बैंड-3 में अथवा पे-बैंड-4 की विशिष्ट बैंड-पे के बैंड में केंद्र में तैनात किया जाता है तो सेवा के सदस्य, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऐसे अधिकारियों से 2 वर्ष या इससे अधिक वरिष्ठ हों और अभी तक उस बैंड विशेष में पदोन्नत नहीं किए गये हों, वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के उस अधिकारी की उस बैंड विशेष में तैनाती की तिथि से जैसे-कार्यवाला आधार पर उसी बैंड में नियुक्त किए जाएंगे।

टिप्पणी 4. इस नियम में सेवा के 4 वर्ष, 9 वर्ष, 14 वर्ष, 18 वर्ष की गणना, भारतीय पुलिस सेवा (वरिष्ठता का विनियम) नियमावली, 1954 के नियम-3 के अन्तर्गत इसे आबंटित, आबंटन वर्ष से की जाएगी।

टिप्पणी 5. चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार के अलावा ली गई किसी असाधारण छुट्टी अथवा सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा सुविधारि, सेवा के सदस्य ने नये नियम से परे किसी कारण के लिए ली गई 14 वर्ष अथवा अध्ययन के लिए ली गई छुट्टी जो कि तोड़कर से हो और जिसके लिए अखिल भारतीय सेवा (अध्ययन छुट्टी) विनियमावली, 1960 के अन्तर्गत अध्ययन छुट्टी अनुस्मृत अनुसूची हो, की अवधि को इन बैंड में नियुक्त के लिए अपेक्षित सेवा की पात्रता अवधि की गणना करने के अधिकार से शामिल नहीं किया जाएगा।

बशर्ते यह कि सेवा का कोई सदस्य उस तारीख तक मौजूदा वेतनमान में वेतन अहंकार करते रहने का विकल्प दे सकता है जिस तारीख को वह मौजूदा वेतनमान में
अपनी अगली या कोई तदनुसार वेतनवृद्धि पाता है अथवा जब तक वह अपना पद छोड़ देता है अथवा जब तक वह उस वेतनमान में वेतन आहरित करना बंद कर देता है:

बशर्ते यह कि ऐसे मामलों में जहाँ सेवा के सदस्य को 1 जनवरी, 2006 और इन नियमों की अधिसूचना की तारीख के बीच में पदोन्नति अथवा वेतनमान के अप्रोटोशन के कारण उच्चतर वेतनमान में रखा गया है, सेवा के सदस्य ऐसी पदोन्नति अथवा अप्रोटोशन, जैसा भी मामला हो, की तारीख से संशोधित वेतन ढाँचे का विकल्प दे सकते हैं।

स्पष्टीकरण 1 - इन नियम के परन्तु के अन्तर्गत मौजूदा वेतनमान बहाल रखने का विकल्प केवल एक मौजूदा वेतनमान के मामले में देख होगा।

स्पष्टीकरण 2 - उपर्युक्त विकल्प 1 जनवरी, 2006 को अथवा उसके बाद किसी पद पर नियुक्त किसी भी व्यक्ति के लिए लागू नहीं होगा और उसे केवल संशोधित वेतन ढाँचे में ही वेतन प्राप्त करने की अनुमति होगी।

स्पष्टीकरण 3 - जहाँ सेवा का कोई सदस्य उस वेतनमान में वेतन नियम के प्रयोग के लिए नियमित आधार पर स्थानान्तर क्षमता पर धारित अपने किसी पद के संबंध में इस नियम के अन्तर्गत मौजूदा वेतनमान को बहाल रखने का विकल्प चुनता है तो इस स्थिति में उसका वास्तविक वेतन वह ब्रूत्वभूत वेतन होगा जो मौजूदा वेतनमान के संबंध में धारित पद, जिस पर उसका पुनर्ग्रहणाधिकार रहता या निलंबित न किये जाने तक उसका पुनर्ग्रहणाधिकार बना रहता या स्थानान्तर पद को वह वेतन, जिसमें से जो भी अधिक हो, होगा जो कि लागू होने के समय किसी भी आदेश के अनुरूप वास्तविक वेतन की खासियत लिए हुए वह अजित करता।

4. नियम-4 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थातः

'4. संशोधित वेतन ढाँचे में वेतन का निर्धारण - सेवा का कोई सदस्य जो इन नियमों के अनुसार, 1 जनवरी, 2006 को अथवा बाद की किसी तारीख को संशोधित वेतन ढाँचे के अनुसार विकल्प देता है अथवा विकल्प दिया हुआ समझा जाता है तो उसके आरंभिक वेतन का, उसके उस स्थायी पद, जिस पर उसका पुनर्ग्रहणाधिकार रहता है और वह पद जिस पर उसका पुनर्ग्रहणाधिकार रहता यद्य पह निलंबित न हो गया होता, के वास्तविक वेतन के अनुसार उस
तारीख से अलग से पुनः निर्धारित किया जाएगा और उसके द्वारा धारित पद स्थानाधिकार वेतन के संबंध में निर्मलिखित तरीके से निर्धारित किया जाएगा अर्थातः

(क) सेवा के सभी सदस्यों के मामलों में:-

(i) वेतन बैंड अथवा वेतनमान में वेतन का निर्धारण 1 जनवरी, 2006 को यथाविधमान मौजूदा मूल वेतन को 1.86 के गुणक से गुणा करके तथा इस प्रकार प्राप्त संख्या को 10 के अगले गुणज में पूर्णाकित करके किया जाएगा ।

(ii) यदि संशोधित वेतन बैंड अथवा वेतनमान का न्यूनतम उपर्युक्त (i) के अनुसार प्राप्त राशि से उपयोग है तो वेतन संशोधित वेतन बैंड अथवा वेतनमान के न्यूनतम पर निर्धारित किया जाएगा ।

बशर्ते कि

(क) वेतन निर्धारण में जहां कहीं सेवा के किसी सदस्य का वेतन जो मौजूदा वेतनमान में दो या अधिक संयोजी अवस्थाओं पर आहरित वेतन समूहबाद हो जाता है अर्थात् अन्यथा कहीं तो इसी अवस्था पर संशोधित वेतन ढांचे में वेतन बैंड में निर्धारित हो जाता है तो इस प्रकार से समूहबाद ऐसी प्रत्येक दो अवस्थाओं के लिए उन्हें एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा जिससे कि संशोधित राशिंग वेतन बैंडों में दो अवस्थाओं से अधिक बढ़ते से बचा जा सके । इस प्रयोजन के लिए वेतन वृद्धि वेतन बैंड में वेतन पर परिकलित की जाएगी और बढ़ते को कम करने के लिए वेतनवृद्धियां देते समय वेतन बैंड को व्यवहार में नहीं रखा जाएगा ।

(ख) उपर्युक्त ढंग से वेतन वर्धन से यदि किसी सरकारी कर्मचारी का वेतन संशोधित वेतन बैंड अथवा वेतनमान (जहां-कहीं लागू हो) की उस अवस्था पर
निर्धारित हो जाता है जो कि अगली उच्च अवस्था अथवा अवस्था अवस्थाओं वाले संशोधित वेतन बैंड वाले कर्मचारियों को प्राप्त हो रहा है, तब ऐसी स्थिति में बाद वाले कर्मचारी का वेतन उस सीमा तक बढ़ाया जाएगा जब तक कि वह पिछले कर्मचारी के वेतन की तुलना में कम हो;

(iii) वेतन बैंड में वेतन उपर्युक्त तरीके से निर्धारित होगा और वेतन बैंड में वेतन के अलावा मौजूदा वेतनमान के अनुसार ग्रेड वेतन भी देना होगा।

(ख) सेवा के उस सदस्य, जो भारत के बाहर 1 जनवरी, 2006 को प्रतिनिधित्वक अथवा चुनाव करता था अथवा जो उच्चतर पद पर कार्य करने के अलावा एक या अधिक निम्नतर पदों पर उस तारीख का कार्य कर रहा था, उसे मामले में "विधिमान वेतनमान" में, उस पद जिस पर वह उच्चतर पद पर कार्य करते हुए के अलावा भारत के बाहर प्रतिनिधित्वक अथवा चुनाव करता था, जैसा भी मामला हो, के लिए लागू वेतनमान शामिल है।

(ग) सेवा के उन सदस्यों के मामले में जो कि मौजूदा वेतनमान में, वेतन के अलावा विशेष वेतन अथवा भत्ता ले रहे हैं तथा जिनके लिए स्थानांतरण नाप पर किसी विशेष वेतन अथवा भत्तों के बिना ही कोई वेतन बैंड और ग्रेड वेतन दिया गया है, ऐसे सदस्यों का वेतन संशोधित वेतन ठीकने में उपर्युक्त उप खण्ड (क) में निहित प्रावधानों के अनुसार ही किया जाएगा।

(घ) सेवा के उन सदस्यों के मामले में जो कि वर्तमान वेतनमानों में भिल रहे वेतन के अतिरिक्त किसी अन्य नाम से विशेष वेतन घटक प्राप्त कर रहे हैं, जैसे कि छोटे परिवार के मानकों को प्रोत्साहन देने के लिए व्यक्तिगत वेतन, केन्द्रीय ( कार्यकाल पर प्रतिनिधित्वक ) भत्ता, आदि तथा जिनके मामले में इनके प्रति स्थान पर साह्य भत्ता अथवा वेतन के साथ संशोधित वेतन ठीकने में लागू कर लिया गया है, के मामले में संशोधित वेतनमान उपर्युक्त धारा (क) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित होंगे और ऐसे मामलों में संस्तुतिएँ नहीं दी दी जाएंगी जब तक कि वह पिछले कर्मचारी के वेतन की तुलना में लोट हो।
भत्ताँ से संबंधित वैयक्तिक अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट तारीख से संशोधित वेतन ढाँचे में मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त मिलेगे।

टिप्पणी 1- निलंबनाधीन सेवा का सदस्य वेतन के विधायन वेतनमान पर आधारित निर्वाह भत्ता लेता रहेगा और संशोधित वेतन ढाँचे में उसका वेतन लंबित अनुशासनिक कार्यवाहियों पर अंतिम आदेश के अध्यधीन होगा।

टिप्पणी 2- सेवा के किसी सदस्य की "मौजूदा परिलिपियाँ" संशोधित परिलिपियों से अधिक हो जाती हैं तो उस अंतर को वेतन में होने वाली भावी वृद्धियों में व्यक्तिगत वेतन के रूप में समाहित करने की अनुमति होगी।

स्पष्टीकरण- इस टिप्पणी के उद्देश्य के लिए, "मौजूदा परिलिपियाँ" से अभिप्राय (i) मौजूदा मूल वेतन (ii) मूल वेतन पर उपयुक्त महंगाई वेतन और (iii) मूल वेतन पर महंगाई भत्ता + औसत सृष्टिकांक 536(1982=100) पर महंगाई वेतन की कुल जमा राशि।

टिप्पणी 3- जहां उप नियम (1) के अधीन वेतन निर्धारण में सेवा का कोई सदस्य जो मौजूदा वेतनमान में 1 जनवरी, 2006 के तुरंत पहले समान कैडर के किसी कर्मचारी की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था और संशोधित वेतन बैंड में उसका वेतन एक ऐसी अवस्था पर निर्धारित हो जाता है जो कि उसके कर्मचारी से कम हो तब ऐसी स्थिति में उसका वेतन संशोधित वेतन बैंड में उसी अवस्था में बढ़ा दिया जाएगा जिस अवस्था पर वह कर्मचारी हो।

टिप्पणी 4- जहां सेवा का कोई सदस्य 1 जनवरी, 2006 को व्यक्तिगत वेतन प्राप्त कर रहा है और जो खण्ड, (क) अथवा (ख) के अनुसार उसकी मौजूदा परिलिपियों से जुड़ने पर संशोधित परिलिपियों से अधिक हो जाता है, तो उस अंतर को वेतन में होने वाली भावी वृद्धियों के रूप में सेवा के किसी सदस्य के व्यक्तिगत वेतन के रूप में समाहित करने की अनुमति होगी।

टिप्पणी 5- उस सेवा के सदस्य के मामले में जो 1 जनवरी, 2006 के पूर्व "पांडी शिक्षण योजना" के अन्तर्गत पांडी प्राधिकृत अन्य
परीक्षाएं उत्तरांण करने के लिए व्यक्तिगत वेतन प्राप्त कर रहा हैं, उनका यह व्यक्तिगत वेतन, संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन के निर्धारण के लिए शामिल नहीं किया जाएगा, वे 1 जनवरी, 2006 से या उससे आगे की अवधि के लिए संशोधित वेतन ढांचे में उस व्यक्तिगत वेतन को प्राप्त करते रहेंगे जो कि वे संशोधित वेतन ढांचे का निर्धारण न होने की दशा में प्राप्त करते । ऐसा व्यक्तिगत वेतन, निर्धारण की तिथि से संशोधित वेतन ढांचे में वेतन वृद्धि की उचित दर से उस अवधि तक के लिए दिया जाएगा जिस अवधि तक अधिकारी उसे प्राप्त करना जारी रखता ।

स्पष्टीकरण : इस टिप्पणी के प्रयोजन के लिए “संशोधित वेतन ढांचे में वेतनवृद्धि की उपयुक्त दर” का तात्पर्य वेतन बैंड में वेतन के कुल के 3 प्रतिशत के बराबर धनराशि तथा उस स्तर पर बैंड वेतन है जिस पर कर्मचारी का वेतन, संशोधित वेतन ढांचे में नियत किया गया है ।

टिप्पणी 6 - जहां दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पूर्व किसी उच्चतर पद पर पदोन्नत किया गया सेवा का कोई ज्येष्ठ सदस्य अपने कलिष्ट सदस्य से पुनरीक्षित वेतनमान में कम वेतन प्राप्त करता है, जो 01 जनवरी, 2006 को या उसके पश्चात उच्चतर पद पर पदोन्नत किया गया है वहां सेवा के ज्येष्ठ सदस्य के वेतन बैंड में वेतन को उस उच्चतर पद में उसके कलिष्ट सदस्य के वेतन बैंड में नियत किये गए वेतन के बराबर राशि तक बढ़ाया जाएगा और वेतन के बढ़ाए (स्टेप-अप) जाने को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधिधीन सेवा के कलिष्ट सदस्य की पदोन्नति की तारीख से प्रभावी किया जाएगा अर्थात् :-

(क) सेवा के कलिष्ट और वरिष्ठ दोनों सदस्य उसी कादर के होंगे और वह पद जिन पर उन्हें पदोन्नत किया गया है उसी कादर में सट्टा होंगे;

(ख) निम्नलिखित और उच्चतर पदों के पूर्व संशोधित वेतनमान और संशोधित बैंड वेतन जिसमें वे वेतन पाने के हकदर हैं, एक-समान होंगे;
(ग) पदवीति के समय सेवा का ज्येष्ठ सदस्य कलिन्द देवकृष्ण के बराबर या अधिक वेतन पा रहा हो और;

(घ) विषमता, इस टिप्पणी के उपरिभाग्य के लागू करने के परिणामस्वरूप प्रत्यक्षतः होगी।

(ख) यहां तक कि यदि निम्नलिखित पद में कलिल्य अधिकारी उसको अनुदत्त किहीं अधिकारी वेतनपूर्वक के कारण ज्येष्ठ व्यक्ति से पूर्व संबंधित वेतनमान में अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था, तो इस टिप्पणी के प्रावधानों को सेवा का ज्येष्ठ सदस्य के वेतन को बढ़ाने के लिए विखंडित किए जाने की आवश्यकता है।

टिप्पणी 7:- उपरोक्त उपरिभाग्य के अनुसार में सेवा का ज्येष्ठ सदस्य के वेतन में पुनः नियतन से संबंधित आदेश सुंगतिन नियमों के अधीन जारी किया जाएगा और सेवा का ज्येष्ठ सदस्य वेतन के पुनः नियतन की तारीख से उसके द्वारा अपेक्षित सेवा पूरी करने पर अगली वेतनवृद्धि का हकदार होगा।

(ख) दिनांक 01 जनवरी, 2006 के बाद विशेष वेतनमान में वेतन का निर्धारण - जहां सेवा का कोई सदस्य मौजूदा वेतनमान में वेतन आहीरित करना जारी रखता है और 01 जनवरी, 2006 के बाद किसी तारीख से संबंधित वेतन दांचे का विकल्प देता है तो संबंधित वेतन दांचे में उसका वेतन, बाद तारीख से इन्हीं नियमों के तहत निर्धारित किया जाएगा और इस प्रकार सेवा के तहत मौजूदा वेतनमान में उसका वेतन खंड (क), (ख) अथवा (घ) जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार यथा परिकलित मौजूदा परिवर्तनों के माध्यम से कराया होगा, परन्तु इस रूप से अधिक बाद वाली तारीख में मूल वेतन और जहां सेवा का सदस्य सेवा विशेष भत्ता प्राप्त कर रहा है, उसका वेतन इस प्रकार परिकलित परिवर्तनों के उपरक्त संबंधित दरों तथा विशेष भत्तों के समान धनार्थ की उन परिवर्तनों में से घटाकर नियत किया जाएगा।

5. उपरुक्त नियमावली के नियम 5 में :-

(क) उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“सीधी भर्ती के अधिकारी का प्रारंभिक वेतन, 5400 रूपए के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3 के न्यूनतम पर निर्धारित किया जाएगा;

बशर्ते कि यदि सीधी भर्ती का कोई अधिकारी भारतीय रेलवे सेवा में उसकी नियुक्ति से पूर्व उस पर लागू नियमों के तहत लिया, अथवा लिया रखता यदि उसका लिया नयाहौस अधिक कर दिया गया होता, उसका आर्थिक वेतन निम्नलिखित तरीके से विनियमित किया जाएगा अर्थातः -

(क) वह, परिवेश की अवधि के दौरान स्थायी पद का वेतन आहरित करेगा, यदि वह कॉन्क्लास वेतनमान और भारतीय पुलिस सेवा में स्थायीकरण होने पर उसके वेतनमान के न्यूनतम से अधिक है;

(ख) यदि वह भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति से पूर्व किसी समूह 'क' के पद को धारण किया हुए था, उसका वेतन, उस स्तर पर निर्धारित किया जाएगा जैसा कि वेतन बैंड-3 जमा ग्रेड वेतन 5400 में समूह 'क' के लिए किया जाएगा; और

(ग) यदि वह समूह 'क' से किसी निम्नतर पद को धारण किया हुए था तो उसका वेतन, वेतन बैंड-3 में निम्नतर पद में वेतन के 3 प्रतिशत के बराबर एक वेतनवृद्धि देकर और ऐसे निम्नतर पद के लिए अनुजाय ग्रेड वेतन देकर संगतितित तथा 10 के अगले गुणज तक पूरा करके नियंत्रित किया जाएगा। तथापि, यदि वह वेतन, वेतनवृद्धि जोड़कर वेतन बैंड-3 के न्यूनतम वेतन से कम है तो उसका वेतन, वेतन बैंड-3 के न्यूनतम पर निर्धारित किया जाएगा;

(घ) तथापि, कॉन्स्ट्रक्शन वेतनमान में वह कोई वेतनवृद्धि प्राप्त नहीं करेगा, जब तक कि अपनी सेवा अवधि के हिसाब से वह किसी उच्चतर वेतन के लिए पात्र नहीं बन जाता।

परन्तु यह और कि वह नियम 9 के तहत अनुजाय वेतन आहरित करेगा, यदि वह पूर्ववर्ती परिस्थित में उल्लिखित वेतन से अधिक है।”

(ख) उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः :-
“(2) वरिष्ठ समय वेतनमान के पद पर पदोन्नत होने पर कलिष्ठ वेतनमान के सेवा के सदस्य का वेतन संशोधित वेतन ढाँचे में निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा:

वेतन बैंड और मौजूदा बैंड-पे के कुल वेतन के 3 प्रतिशत के बराबर एक वेतनवृद्धि तथा 10 के अगले गुणज तक पूरा किया जाएगा।
इसे वेतन बैंड के शुरू के मौजूदा वेतन में जोड़ दिया जाएगा।
इसके पश्चात वेतन बैंड में इस वेतन के अतिरिक्त पदोन्नति पद की लदनुपूर्ण बैंड-पे दी जाएगी।”

(ग) उप नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“(4) कलिष्ठ पुलिस बैंड में नियुक्त होने पर वरिष्ठ समय वेतनमान में सेवा के सदस्य का वेतन बैंड-3 में उसी प्रकार निर्धारित किया जाएगा जैसे कि उप-नियम (2) में उपबंधित अनुसार वेतन बैंड-3 के मौजूदा वेतन में 7600 रुपये का बैंड वेतन जोड़कर किया जाता है

(घ) उप नियम (5) के लिए निम्नलिखित उप-नियम को पदस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“(5) कलिष्ठ प्रशासनिक बैंड के सेवा के सदस्य की चयन बैंड में पदोन्नति होने पर उसका वेतन पे-बैंड-4 में और यदि कलिष्ठ प्रशासनिक बैंड में सेवा के सदस्य द्वारा आहरित वेतन पे-बैंड-3 में पे-बैंड-4 के न्यूनतम से कम है तो इसे पे-बैंड-4 के न्यूनतम पर निर्धारित किया जाएगा तथा उन्हें चयन बैंड में 8700 रुपये का बैंड-पे दिया जाएगा”;

(ड) उप नियम (6) के लिए निम्नलिखित उप नियम पदस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“(6) सेवा के सदस्य की प्रथम अधिसमय वेतनमान में नियुक्ति होने पर चयन बैंड में, द्वितीय अधिसमय वेतनमान में नियुक्ति होने पर प्रथम अधिसमय वेतनमान में अथवा अधिसमय वेतनमान से ऊपर के प्रथम वेतनमान में नियुक्ति होने पर द्वितीय अधिसमय वेतनमान में अथवा
एच.ए.जी.+: में पदोन्नति होने पर अधिसमय वेतनमान से ऊपर के प्रथम वेतनमान में वेतन का निर्धारण, उप-नियम (2) में दिए तरीके से किया जाएगा और पे-बैंड में इस वेतन के अतिरिक्त द्वितीय अधिसमय वेतनमान अथवा अधिसमय वेतनमान से ऊपर का प्रथम वेतनमान, जैसा भी मामला हो, के अनुसार तदनुरूपी ग्रेड वेतन दिया जाएगा।

(३) उप-नियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:

“(६क) अधिसमय वेतनमान से ऊपर के द्वितीय वेतनमान अर्थात् एच.ए.जी.+:वेतनमान में नियुक्ति होने पर अधिसमय वेतनमान से ऊपर के प्रथम वेतनमान में सेवा के सदस्य का वेतन निम्नलिखित तरीके से निर्धारित किया जाएगा, अर्थात्:

उप-नियम 2 में निर्धारित तरीके के अनुसार एक वेतनवृद्धि जोड़कर पे-बैंड के वेतन में मौजूदा ग्रेड-पे जोड़ दी जाएगी और परिणामी राशि एच.ए.जी.+ में मूल वेतन बन जाएगी। वह इस वेतनमान के अधिकतम अर्थात् 80000 रुपये से अधिक नहीं हो।

(४) उप नियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“सेवा में एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति होने पर सेवा के सदस्य के पास विकल्प होगा कि वह अपना वेतन, उच्चतर पद के पे-बैंड में या तो अपनी पदोन्नति की तारीख से या उस वर्ष की पहली जुलाई से निर्धारित करा सके, जब वह उपयुक्त संगत उप-नियम में किए गए प्राप्तवर्धन के अनुसार नियुक्ति के जोड़ में तदनुरूप बाद की वेतनवृद्धि करता है। बाद वाले मामले में, पदोन्नति की तिथि को पे-बैंड में वेतन, निचले पद के समान ही निर्धारित किया जाएगा परन्तु ग्रेड-पे उच्चतर पद की ही होगी और इसका पुनर्निर्धारण संबंधित उप-नियमावली में किए गए प्राप्तवर्धन के अनुसार एक जुलाई, जो नियुक्ति वेतनमान में वास्तविक वेतनवृद्धि की तिथि है, से किया जाएगा।”
6. उक्त नियमावली के नियम-6 में -
(i) उप नियम(1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(1)(क) इन नियमों के नियम 6 या नियम 7 के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए किसी आदेश के अध्यधीन भारतीय पुलिस सेवा (भारती) नियमावली 1954 के नियम 7 या नियम 7क के अंतर्गत नियुक्त सेवा के सदस्य को अनुज्ञ वेतनवृद्धि प्रत्येक वर्ष की पहली जुलाई को एक-समान रूप से दी जाएगी।

(ख) संशोधित वेतन ढांचे में एक जुलाई को 6 माह या इससे अधिक पूरा करने वाले अधिकारी 1 जुलाई की स्थिति के अनुसार, वेतनवृद्धि पाने के पावन होंगे।

(ग) संशोधित वेतन ढांचे में 1 जनवरी, 2006 को वेतन निर्धारण के पश्चात पहली वेतनवृद्धि दिनांक 1 जुलाई, 2006 को, सेवा के उन सदस्यों को दी जाएगी जिनकी वेतनवृद्धि की अगली तिथि 1 जुलाई, 2006 से 1 जनवरी, 2007 के बीच थी।

(घ) सेवा के सभी सदस्य जिन्होंने अपनी अन्तिम वेतनवृद्धि 1 जनवरी, 2005 तथा 1 जनवरी, 2006 के बीच अर्जित की थी, वे अपनी वेतनवृद्धि 1 जुलाई, 2006 को अर्जित करेंगे।

बशर्ते कि उन व्यक्तियों के मामलों में, जो 01 जनवरी, 2006 की स्थिति के अनुसार एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए मौजूदा वेतनमान के अधिकतम पर थे, उन्हें संशोधित वेतन ढांचा में अगली वेतनवृद्धि 01 जनवरी, 2006 से दी जाएगी, उसके बाद यह नियम लागू होगा।

बशर्ते यह भी कि यदि सेवा का सदस्य जहाँ अपने वेतन बैंड के अधिकतम पर पहुँच जाता है, वह उस अधिकतम पर पहुँचने के एक वर्ष बाद अगले उच्चतर वेतन बैंड में आ जाएगा। उसे उच्चतर वेतन बैंड में रखे जाने के समय, उसे एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाएगा, उसके बाद उसके उस वेतन बैंड-4 के अधिकतम पर पहुँचने तक वह उच्चतर वेतनबैंड में चलता रहेगा, जिसके बाद उसे कोई अगली वेतनवृद्धि नहीं दी जाएगी।;
(ii) उप-नियम (2) और (3) का लोप कर दिया जाएगा;

(iii) “वेतनमाण” और “वेतन बैंड” शब्दों के लिए उप-नियम (6) में “वेतन बैंड और बैंड वेतन” शब्द प्रतिस्थापित होगे;

7. उपयुक्त नियमों के नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित होंगे, अर्थातः

“7 संशोधित वेतन ढांचा में वेतनवृद्धि की दर -

(1) संशोधित वेतन ढांचा में वेतनवृद्धि की दर, लागू वेतन बैंड और बैंड वेतन में वेतन की राशि के 3% के बराबर होगी, जो 10 की गुणा पर पूर्ण होगी तथा उस वेतनवृद्धि राशि को वेतन बैंड में मौजूदा वेतन में जोड़ा जाएगा।

(2) वेतन बैंड-3 के मामले में, 3% और 4% पर वेतनवृद्धि की अलग-अलग दरें दी जाएं।

(3) वेतनवृद्धि की उच्चतर दर, वेतन बैंड-3 में अधिकारियों की पद संख्या के 20% से अधिक को नहीं दी जाएगी।”

8. उपयुक्त नियमों के नियम 9 के लिए, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित होंगे : -

“(9) - भारतीय पुलिस सेवा (परिकीर्त) नियमावली, 1954 के नियम 13 में विहित किसी भी बात के बावजूद राज्य सरकार सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त उनमीलनार्थ द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षा अथवा सेवा की अवधि की अनदेखी करते हुए परीक्षाएं, जिनके पश्चात् वह पे-बैंड में निर्धारित दर पर वेतन आहरित करने का हकदार हो जाएगा, परीक्षा पास करने के पश्चात् वेतनवृद्धि की निर्धारित तिथि से उसे देय दूसरी और तीसरी वेतनवृद्धि स्वीकृत करेगी।

बशर्त कि इस नियम के अंतगत तीसरी वेतनवृद्धि, निर्धारित विभागीय परीक्षा, या अंतिम निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद परीक्षाक को सफलतापूर्वक पूरा करने और स्थायीकरण पर जैसी भी स्थिति हो, वेतनवृद्धि की निर्धारित लारीख से पूर्व-प्रभावी दी जाएगी।

बशर्त कि यह भी कि सीधे भर्ती किए गए कोई व्यक्ति, जिसे पूरी विभागीय परीक्षा या परीक्षाओं या विभागीय परीक्षा या परीक्षाओं का किसी भाग में, जैसी भी
स्थिति हो, इस कारण से उपस्थित होने से छूट दी गई है, कि उसने नेता का सदस्य होने से पूर्व, ऐसी परिस्थितियों या परिस्थितियों या उनके किसी भाग को पहले ही उत्तीर्ण कर लिया है, को, इस नियम के प्रयोजनार्थ, उस पूर्व परिस्थिति या परिस्थितियों या उनके भाग, जिनमें वह उपस्थित होता, की तारीख के बाद बिभागीय परिस्थिति या परिस्थितियों या उनके भाग, जैसी भी स्थिति हो, को उत्तीर्ण किया गया माना जाएगा, लेकिन छूट के लिए, सेवा का सदस्य होने के बाद।

9. उपयुक्त नियमों के नियम 11 में, उप-नियम (7) में, “24050-650-26000 रुपए” अक्षरों और अंकों के स्थान पर “75500 रुपये (वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से) - 80000 रुपये” अक्षर, अंक और शब्द प्रतिस्थापित होंगे।

10. उपयुक्त नियमों की अनुसूची। में,

(क) “01 जनवरी, 1996” अंक, अक्षर और शब्द जहाँ-कहीं ये आते हैं के स्थान पर “01 जनवरी, 2006” अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित होंगे;

(ख) पैसा (1) के लिए, निम्नलिखित पैसा प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

“(1) नियम 3 के उप-नियम (1) में प्रथम उपबंध तथा उसके अंतर्गत टिप्पणियों में किसी बात के होते हुए, पदवीनत अधिकारी या चयन द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, का आर्थिक वेतन, निम्नलिखित तरीके से अधिकारी की पात्रता के अनुसार वरिष्ठ वेतनमान के तीन घटकों के लिए अनुज्ञय एक घड़ी वेतन के अतिरिक्त राज्य सेवा में वेतन बैंड-3 या वेतन बैंड-4 में अधिकारी द्वारा आहरित वेतन पर नियत किया जाएगा, अर्थात्:–

<table>
<thead>
<tr>
<th>वेतन बैंड-3 में वेतन</th>
<th>बैंड-4 में वेतन</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>वेतन बैंड-3 में 28280 रुपए तक के वेतन में अधिकारी</td>
<td>ग्रेड- पे 6600/-</td>
</tr>
<tr>
<td>वेतन बैंड-3 में 28281 रुपए से 30690 रुपए के</td>
<td>ग्रेड- पे 7600/-</td>
</tr>
<tr>
<td>मध्य वेतन में अधिकारी</td>
<td>वेतन बैंड-3 अथवा वेतन बैंड-4 में 30691 रुपए अथवा उससे</td>
</tr>
<tr>
<td>ऊपर के वेतन में अधिकारी</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
यदि राज्य सेवा में अधिकारी का वेतन 1 जानवरी, 2006 से नए वेतन ढांचे के अनुसार संशोधित नहीं किया गया है, इसे नियम 4 में समाविष्ट प्रावधानों के आधार पर संशोधित किया जाएगा।

11. उक्त नियमों की अनुसूची-II के, निम्नलिखित राज्यों में 75500/- (वार्षिकवेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से) - 80,000/- रुपये के एच.ए.जी.+वेतनमान में पुलिस महानिदेशक 80,000 (नियत) के शीर्ष वेतनमान में रखा जाएगा और राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में पुलिस बल के प्रमुख के रूप में निम्नानुसार पदनामित किया जाएगा, अर्थातः:

<table>
<thead>
<tr>
<th>राज्य</th>
<th>पदनाम</th>
<th>शीर्ष वेतनमान</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(1)</td>
<td>(2)</td>
<td>(3)</td>
</tr>
<tr>
<td>आंध्र प्रदेश</td>
<td>पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)</td>
<td>80,000/- रुपये (नियत)</td>
</tr>
<tr>
<td>दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)</td>
<td>पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)</td>
<td>80,000/- रुपये (नियत)</td>
</tr>
<tr>
<td>आसमान</td>
<td>पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)</td>
<td>80,000/- रुपये (नियत)</td>
</tr>
<tr>
<td>मेघालय</td>
<td>पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)</td>
<td>80,000/- रुपये (नियत)</td>
</tr>
<tr>
<td>बिहार</td>
<td>पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)</td>
<td>80,000/- रुपये (नियत)</td>
</tr>
<tr>
<td>छत्तीसगढ़</td>
<td>पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)</td>
<td>80,000/- रुपये (नियत)</td>
</tr>
<tr>
<td>गुजरात</td>
<td>पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)</td>
<td>80,000/- रुपये (नियत)</td>
</tr>
<tr>
<td>हरियाणा</td>
<td>पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)</td>
<td>80,000/- रुपये (नियत)</td>
</tr>
<tr>
<td>हिमाचल प्रदेश</td>
<td>पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)</td>
<td>80,000/- रुपये (नियत)</td>
</tr>
<tr>
<td>जम्मू और कश्मीर</td>
<td>पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)</td>
<td>80,000/- रुपये (नियत)</td>
</tr>
<tr>
<td>झारखंड</td>
<td>पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)</td>
<td>80,000/- रुपये (नियत)</td>
</tr>
<tr>
<td>कन्नप्पा</td>
<td>पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)</td>
<td>80,000/- रुपये (नियत)</td>
</tr>
<tr>
<td>केरल</td>
<td>पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)</td>
<td>80,000/- रुपये (नियत)</td>
</tr>
<tr>
<td>मध्य प्रदेश</td>
<td>पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)</td>
<td>80,000/- रुपये (नियत)</td>
</tr>
<tr>
<td>महाराष्ट्र</td>
<td>पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)</td>
<td>80,000/- रुपये (नियत)</td>
</tr>
<tr>
<td>मणिपुर</td>
<td>पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)</td>
<td>80,000/- रुपये (नियत)</td>
</tr>
<tr>
<td>बिहारगुडा</td>
<td>पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)</td>
<td>80,000/- रुपये (नियत)</td>
</tr>
<tr>
<td>भारत गांधी</td>
<td>पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)</td>
<td>80,000/- रुपये (नियत)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
12. उक्त नियमों की अनुसूची-11-क और 11-ग में,

(क) "वेतन अथवा वेतनमान" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः:-

"वेतन अथवा वेतनमान अथवा वेतन बैंड-बैंड वेतन"

(ख) "26000 रूपये", "24050-650-26000 रूपये", "22400-525-24500 रूपये", "18400-500-22400 रूपये", "16400-450-20000 रूपये" अंकर, अंक और शब्द जहां-कहीं ये आते हीं के स्थान पर "80000 रूपये", "75500-(वाष्पक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से ) - 80000 रूपये", "वेतन बैंड-4: 37400-67000 रूपये जमा बैंड वेतन 12000 रूपये", "वेतन बैंड-4: 37400-67000 रूपये जमा बैंड वेतन 10000 रूपये", "वेतन बैंड-4: 37400-67000 रूपये, जमा बैंड वेतन 8900 क्रमशः अंकर, अंक और शब्द प्रतिस्थापित किय जाएंगे।"

13. अनुसूची-11-ग में, अर्थातः:-

(क) महानिदेशक, भारत-रिज्वत सीमा पुलिस के पद से सम्बन्धित कॉलम (4) के अंतर्गत क्रम संख्या-6 पर दी गई प्रविधि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविधि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थातः:-

"80000 रूपये (नियत)",

(ख) क्रम सं. 12 के बाद, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थातः :-

"12 क्षण सत्तृक सीमा वाल – महानिदेशक – 80000 रूपये (नियत)");
(ग) ‘केन्द्रीय (पदावधि पर प्रतिनिधियुक्ति) भर्ता’ से सम्बद्ध कॉलम (5) के अंतर्गत 1000 रुपये, 800 रुपये और 400 रुपये अकार और अंक जाहिर-कहीं आते हों, के स्थान पर “अधिकतम चार हजार रुपये प्रति मास के अद्वियीन मूल वेतन का दस प्रतिशत” प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(घ) अनुसूची-II-ग के अंत में आने वाली टिप्पणी-1 और टिप्पणी-2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

‘टिप्पणी:- इस नियम में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय (पदावधि पर प्रतिनिधियुक्ति) भर्ता सेवा के किसी सदस्य को स्थान प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रतिनिधियुक्ति की अवधि के लिए दिया जाएगा।’

14. अनुसूची-II के अंतर्गत “11.घ-सेवा के सदस्य द्वारा धारित केन्द्र सरकार के अंतर्गत आने वाले पद और तालिका” के स्थान पर निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :

“11.घ-सेवा के सदस्य द्वारा धारित केन्द्र सरकार के अंतर्गत आने वाले पद

तालिका

<table>
<thead>
<tr>
<th>पद का नाम</th>
<th>वेतनमात्र</th>
<th>केन्द्रीय (पदावधि पर प्रतिनिधियुक्ति) भर्ता</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(1) भारत सरकार के सचिव/भारत सरकार के विशेष सचिव</td>
<td>80000/- रुपये (नियत)</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>(2) भारत सरकार के अपर सचिव</td>
<td>वेतन बैंड-4: 37400-67000 रुपए; और ग्रेड वेतन 12000 रुपए</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>(3) भारत सरकार के संयुक्त सचिव</td>
<td>वेतन बैंड-4: 37400-67000 रुपए; और ग्रेड वेतन 10000 रुपए</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>(4) भारत सरकार के निदेशक</td>
<td>चयन ग्रेड (वेतन बैंड-4: 37400-67000 रुपए; और ग्रेड वेतन 8700/- रुपए)</td>
<td>अधिकतम चार हजार रुपए प्रति मास के अद्वियीन मूल वेतन का दस प्रतिशत</td>
</tr>
<tr>
<td>(5) भारत सरकार के उप सचिव</td>
<td>चयन ग्रेड: (वेतन बैंड-4: 37400-67000 रुपए; और ग्रेड वेतन</td>
<td>अधिकतम चार हजार रुपए प्रति मास के</td>
</tr>
</tbody>
</table>
सही व्याख्यात्मक जानकारी

केंद्रीय सरकार ने यथा अनुमोदित संशोधन के अनुसार भारत सरकार के दिनांक 29 अगस्त, 2008 के संकल्प सं. 1/1/2008-आईसी में यथा विलिक्षित अखिल भारतीय सेवाओं के वेतनमानों में संशोधन के संबंध में छठे केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को दिनांक 1 जनवरी, 2006 से कार्यान्वित करने का निर्णय किया है। इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के मद्देनजर, भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) लिखितावली, 2007 को 1 जनवरी, 2006 से तद्दृश संशोधित किया जा रहा है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने से भारतीय पुलिस सेवा के किसी भी सदस्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।